



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002



के.मा.शि.बो./नि. (शै.अ.प्र.न.)/2014

दिनांक: 6 जून, 2014

परिपत्र संख्या-अका. 17/2014

के.मा.शि.बो. से संबद्धता प्राप्त
सभी संस्थानों के प्रमुख

विषय : मार्च 2015 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए पाठ्यचर्या दस्तावेज 2014-15 की प्रमुख विशेषताएँ

प्रिय प्रधानाचार्य,

वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2014-15 से बोर्ड ने एकीकृत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठ्यचर्या दस्तावेजों को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है जो कक्षा IX-X एवं XI-XII सभी कक्षाओं में एक ही समय में प्रभावी हैं। यह निर्णय कुछ विद्यालयों द्वारा पुरानी पाठ्यचर्या को, विशेष रूप से कक्षा X व XII के लिए प्रयोग न करने के कारण से किया गया है क्योंकि एक वर्ष विशेष के लिए कक्षा IX व XI के लिए एक पाठ्यचर्या दस्तावेज और कक्षा X व XII के लिए दूसरे पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रयोग होता था। यह अधिसूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिए नवीनतम पाठ्यचर्या दस्तावेज निम्न लिंक पर उपलब्ध है।

कक्षा IX एवं X के लिए

http://cbseacademic.in/web_material/Curriculum/Secondary/2014_15_Secondary_Curriculum_Volume_1.pdf

कक्षा XI एवं XII के लिए

http://www.cbseacademic.in/web_material/Curriculum/SrSecondary/2014_15_Senior_Curriculum_Volume_1.pdf

सभी विद्यालयों को यह सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन पाठ्यचर्या दस्तावेज का अनुसरण करे जोकि माध्यमिक पाठ्यचर्या (2014-15) और उच्चतर विद्यालय पाठ्यचर्या (2014-15) के नाम से सभी विषयों के लिए ऊपर दिये गए लिंक पर उपलब्ध है। इसकी मुद्रित कापियाँ के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के पुस्तक भण्डारों पर उपलब्ध है। पाठ्यचर्या 2015 (2013 में मुद्रित) और पाठ्यचर्या 2014-15 (2014 में मुद्रित) में तुलना करते हुए प्रमुख परिवर्तनों को तैयार किया गया है। मुख्य विशेषताएँ कक्षा X के लिए संलग्नक 'A' व कक्षा XII के लिए संलग्नक 'B' में दी गई हैं।

उपरोक्त सूचना सभी संबंधित शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के संज्ञान में लायी जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप श्री अलहिलाल अहमद, संयुक्त निदेशक को दिए गये नम्बर 011-23237780 पर तथा ईमेल aeoasedof@gmail.com तथा सुश्री नेहा शर्मा, उप-निदेशक को फोन न. 011-23237779 पर तथा ईमेल nehasharma.cbse@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

भवदीया

हस्ताक्षरित/-

डॉ. साधना पाराशर

निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:

- 1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
- 2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28 कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली
- 3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
- 4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
- 5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
- 6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
- 7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
- 8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
- 9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
- 10 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
- 11 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
- 12 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
- 13 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
- 14 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
- 16 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
- 17 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
- 18 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 19 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
- 20 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 21 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
- 22 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
- 23 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
- 24 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
- 25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
- 26 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)